दीवानी विविध अपील सं. 11/2020 गोल्डी/सरकार

25—2—2020

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 151 सीपीसी. पर बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी की ओर से अपने प्रार्थनापत्र पर तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी उक्त विवादित जमीन पर 20—25 सालों से मकान बनाकर रह रहे हैं तथा उक्त मकान के फोटो भी पेश किया है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र जो खारिज किया गया है वह अविधिक है। यदि रेस्पोडेंट द्वारा मकान तोड़ दिया जाएगा तो उसको अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए अपील के निर्णय तक अंतरिम स्थगन प्रदान किया जावे। अपीलांट के पास दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिसमें बिजली पानी के कनेक्शन भी पुराने लगे हुए हैं। यदि अपीलांट अतिक्रमी माने जाते हैं तो यह तथ्य दावे में तय होगा, इसलिए टीआई. पत्रावली में अपीलांट को अंतरिम स्थगन दिया जावे तथा रेस्पोंडेंट को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोंडेंट की ओर से विरोध में तर्क प्रस्तुत किया गया कि रेस्पोडेंट एडीए. ने उक्त मकान जो अपीलांट का था तथा दीवार वगैरह बनी हुई थी, उसको घ्वस्थ कर दिया है तथा कब्जा भी ले लिया है। एडीए. ने अपना बोर्ड भी लगा दिया है, इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज करने की कृपा करें।

दोनों पक्षों के तर्क सुने गए। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विवादित जगह पर बनाए गए मकान

की फोटो पेश की गई थी, उन फोटो को देखने से प्रतीत होता है कि मकान पुराना है। उक्त मकान 20—25 साल पहले बना हुआ है अथवा नहीं, यह अभी तय नहीं किया जा सकता। अपीलांट के पास बिजली पानी के कनेक्शन है, यह तथ्य अपीलांट द्वारा बताया गया है। जहां तक रेस्पोंडेंट का प्रश्न है, उक्त विवादित जमीन पर बने मकानों को तोड़ दिया गया है इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे, इस तर्क से अपीलांट द्वारा अमान्य किया गया है कि अभी कोटड़ी व मकान बने हुए हैं। दीवार वगैरह ध्वस्थ किये गए हैं, इसलिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश प्रदान करें। चूंकि दोनों पक्षों का इस तथ्य पर विरोधाभासी कथन है तथा मूल अपील की बहस होना अभी शेष है। विवादित स्थल की जो मौजूदा स्थिति है उसमें यदि यथास्थिति दी जाती है तो इससे दोनों पक्षों को कोई क्षति कारित नहीं होगी।

लिहाजा उक्त विवेचनानुसार अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील के निर्णय तक मौके की आज की यथस्थिति बनाए रखने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस अपील दिनांक .... को पेश हो।